भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5221

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

2 श्रावण, 1941 (शक)

भारत में मोबाइल विनिर्माण

5221. श्री के. शनमुगा सुंदरम :
श्री कनकमल कटारा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में आयातित मोबाइल फोन और उसमें उपसाधनों की मात्रा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में मोबाइल कंपनियों द्वारा और अधिक विनिर्माण कारखानों की स्थापना को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार मोबाइल फोन और उसके घटकों के आयात पर अतिरिक्त शुल्क प्रभारित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) स्वदेशी मोबाइल निर्माताओं को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में आयात किए गए मोबाइल फोन और इसके सहायक कल-पुर्जों अर्थात पावर बैंक, हेडसेड और यूएसबी केवल की मात्रा निम्नानुसार है: [स्त्रोत वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीपीसीआईएस)]

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (**मई,** 2019 **तक**)
एचएस 851712 **के अंतर्गत आने वाले मोबाइल फोन**	7.58	9.05	2.70	0.07
एचएस 85076000 **के अंतर्गत आने वाले पॉवर बैंक (लिथियम-ऑयन)**	10.94	18.38	62.74	9.48
एचएस 85183000 **के अंतर्गत आने वाले हेडसेट**	30.09	37.14	44.98	7.32
एचएस 85444220, 85444292 **और** 85444299 **के अंतर्गत आने वाले यूएसबी केबल**	0.75	19.72	26.91	3.01

(ख) से (ड.) : सरकार देश में मोबाइल फोन और इसके सहायक कल-पुर्जों और भागों के लिए विनिर्माण कारखानों की स्थापना को बढ़ावा दे रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख **अनुबंध** में किया गया है।

मोबाइल फोन के आयात पर 20% का आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) लागू होता है और मोबाइल फोन के आयात पर अतिरिक्त प्रभार लागू करने का सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है। हांलाकि, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अनुसरण में मोबाइल फोन की विशिष्ट सब असेम्बलियों और कल-पूर्जों पर बीसीडी अधिरोपित किया जा रहा है।

पीएमपी की अधिसूचना ने इस क्षेत्र में अपने निवेश की योजना बनाने के लिए मोबाइल फोन और संबंधित सब-असेम्बलियों/कलपूर्जों के विनिर्माण उद्योग को सक्षम बनाया है।

*****

अनुबंध

देश में मोबाइल फोन और उनके सहायक कल-पुर्जों और भागों के लिए विनिर्माण कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

i. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है जिसमें मोबाइल फोन और उनके सहायक कलपुर्जे और भाग शामिल हैं।

ii. मोबाइल फोन तथा उसके भागों/संघटकों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को अधिसूचित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत में इस क्षेत्र में तेजी से निवेश आकर्षित हुए हैं और पिछले 4 वर्षों के दौरान देश में महत्वपूर्ण रूप से विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना हुई है। मोबाइल फोन और कलपुर्जों एवं संघटकों का विनिर्माण सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) से कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी) स्तर की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इस प्रकार उत्तरोत्तर रूप से घरेलू मूल्य वर्धन हो रहा है।

iii. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) को 25.2.2019 अधिसूचित किया गया है। एनपीई, 2019 के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2025 तक 1.0 बिलियन (100 करोड़) मोबाइल फोन का लक्षित उत्पादन, जिसका मूल्य यूएसडी 190 बिलियन (लगभग 13,00,000 करोड़ रु.) है, शामिल है। इसके अलावा इसमें निर्यात के लिए यूएसडी 110 बिलियन (लगभग 7,00,000 करोड़ रु.) मूल्य वाले 600 मिलयन (60 करोड़) मोबाइल फोन शामिल हैं।

iv. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में कमियों को दूर करने और निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। योजना नई परियोजनाओं के साथ-साथ विस्तारित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है और 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली है। इस योजना में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सुविधा (एसईजेड यूनिटों के लिए 20% और गैर-एसईजेड यूनिटों के लिए 25%) की स्थापना के लिए पूंजी व्यय में निवेश के लिए सब्सिडी में 20% से 25% तक की छूट दी जाती है। ये प्रोत्साहन इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों और उत्पाद घटकों की 44 श्रेणियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें मोबाइल फोन, उनके सहायक कल-पुर्जे और भाग शामिल हैं।

v. इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों के लिए नवीनतम अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना को अधिसूचित किया गया था। यह योजना 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 21 अक्तूबर, 2017 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। इसके अलावा, अनुमोदित आवेदकों के लिए निधियों के संवितरण हेतु पांच वर्ष की अवधि उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक 100 एकड़ भूमि के लिए 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन परियोजना लागत की 50% तक की वित्तीय सहायता ग्रीनफील्ड ईएमसी के लिए उपलब्ध थी और ब्राउनफील्ड ईएमसी के लिए 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन अवसंरचना लागत का 75% अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया था।

vi. लागू कानूनों/विनियमों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विनिर्माण के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक की एफडीआई की अनुमति है

vii. इस क्षेत्र में निर्यात के प्रोत्साहन के लिए मर्चेन्डाइज एक्सपोर्टस फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) स्कीम, विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के तहत उपलब्ध है। एमईआईएस निर्यात प्रोत्साहन देता है ताकि विनिर्माण संबंधी बाधाएं दूर की जा सके। शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना विशिष्ट निर्यात अनुबंध-पत्र की शर्त के अध्यधीन शून्य सीमा शुल्क पर कैपिटल गुड्स के आयात को अनुमति देती है।

viii. दिनांक 11.06.2018 की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2016 के संशोधन के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण उद्योग द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए कम से कम 5 वर्ष के अवशिष्ट जीवन वाले प्लांट और मशीनरी के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

ix. विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के विनिर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत सामग्री को "शून्य " आधारभूत सीमा शुल्क पर आयात के लिए अनुमति है।

x. राजस्व विभाग ने दिनांक 11.09.2018 की अधिसूचना संख्या 60/2018-कस्टम के जरिए दिनांक 14.11.1995 की अधिसूचना संख्या 158/95-कस्टम में संशोधन किया है, जिसके अतंर्गत भारत में विनिर्मित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री और सुधार कार्य या स्थिति में सुधार के लिए भारत में पुन: आयात की गई वस्तुओं के लिए आयु सीमा को शिथिल करते हुए 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया है।

xi. भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिकी सामनों के आयात पर अंकुश लगाकर भारतीय नागरिकों को सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एमईआईटीवाई ने आवश्यक अनुपालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 अधिसूचित किया है। आदेश के प्रावधानों के अनुसार, विनिर्माता को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उत्पाद की जांच कराना होगा, बीआईएस से पंजीकरण कराने और उत्पाद पर पंजीकरण चिन्ह रखना है। आदेश के अंतर्गत 44 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित की गई हैं।

xii. सरकार ने आय और रोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में माल के विनिर्माण और उत्पादन तथा सेवाओं को बढ़ावा और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 अधिसूचित किया है। उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में, एमईआईटीवाई ने मोबाइल फोन सहित 11 इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों को स्थानीय सूचना सामग्री अधिसूचित किया है।

****